

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक—वा०क०अधि०/वा०प्रवि०/ 23 लखनऊ :: दिनांक:: ६२ मार्च— 2023,
—: परिपत्र :—

समस्त सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये वाणिज्य कर अधिकरण के अधिष्ठान में कार्यरत समूह “ग” व समूह “घ” के कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टियाँ अंकित करने हेतु समस्त सदस्यगण को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीन कार्यरत समूह “ग” कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टि स्वयम् कार्य समीक्षा प्रपत्र पर अंकित करके, स्वयम् कार्य समीक्षा प्रपत्र व समूह “घ” के कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टि उनके सेवा रोल में अंकित करके, प्रविष्टि अंकित किये जाने का प्रमाण पत्र प्रत्येक दशा में दिनांक 12.04.2023 तक मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

समूह “ग” तथा “घ” का कोई भी कर्मचारी यदि वर्तमान सदस्य के कार्यकाल में वित्तीय वर्ष 2022–23 में तीन माह या उससे अधिक समय तक कार्यरत रहा है, उस दशा में उनकी प्रविष्टि वर्तमान सदस्य द्वारा, दी जायेगी, चाहे भले ही उक्त वित्तीय वर्ष के शेष माहों में वह कर्मचारी ऐसे सदस्य के साथ रहा हो, जो अब उस पीठ में कार्यरत नहीं है।

यदि समूह “ग” तथा “घ” का कोई कर्मचारी वर्तमान सदस्य के कार्यकाल में तीन माह या उससे अधिक समय तक कार्यरत नहीं रहा है और ऐसे सदस्य के अधीन कार्यरत रहा है जो उस पीठ के अतिरिक्त किसी अन्य पीठ में कार्यरत हैं, तब उस कर्मचारी के बारे में प्रविष्टि देने हेतु उन सदस्य को तुरन्त संदर्भित कर दिया जाएगा। यदि वे सदस्य सेवानिवृत्त हो गये हो और वर्तमान सदस्य के अधीन कर्मचारी तीन माह या उससे अधिक समय तक कार्यरत नहीं रहा है तब, समूह “घ” के कर्मचारियों के सेवारोल में यह प्रमाण—पत्र लगा दिया जाएगा कि अमुक सदस्य सेवानिवृत्त हो गये हैं और उन्होंने प्रविष्टि नहीं दी थी और उनके बारे में उक्त तथ्य का उल्लेख करते हुए सूचना मुख्यालय भेज दी जाए तथा समूह “ग” के कर्मचारियों के बारे में भी उक्त तथ्य का उल्लेख करते हुए स्वयं कार्य समीक्षा प्रपत्र मात्र अध्यक्ष को प्रविष्टि देने हेतु भेज दिया जाए।

कृपया समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2022–23 के लिए अपने अधीन कार्यरत समूह “ग” के कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टियाँ अंकित करके व समूह “घ” की प्रविष्टियाँ अंकित किये जाने का प्रमाण पत्र प्रत्येक दशा में दिनांक 12.04.2023 तक मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः स्वयं कार्य समीक्षा प्रपत्र।

ह०—०२—०३—२०२३,

(अरविन्द मलिक)

एच०ज०एस०,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकनः संख्या—वा०क०अधि०/वा०प्रवि०/ 23 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि मुख्यालय पर कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का स्वयं कार्य समीक्षा प्रपत्र दिनांक 12—०४—२०२३ तक मेरे वैयक्तिक सहायक को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।
- 2— प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय
- 3— वरिष्ठ लिपिक (स्थापना—१ व २), मुख्यालय।
- 4— परिपत्र की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।
- 5— बैव अधिकारी, मुख्यालय।

(तरुण कुमार)

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय —अध्यक्ष/सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ—.....

- 1—कर्मचारी का नामः—
- 2—पटल का नामः—
- 3—समीक्षा की अवधि:—
- 4—वर्ष भर में किये गये कार्य

का समीक्षात्मक विवरणः—

- 5—पटल पर पिछडे हुये कार्य
यदि कोई हो, का विवरणः—
- 6—अन्य महत्वपूर्ण कार्य का विवरणः—

दिनांकः

हस्ताक्षर,

व0प्र0अधि0 / मुन्सरिम द्वारा टिप्पणीः—

- 1—उपरिलिखित तथ्यों का सत्यापनः—
- 2—आचरण / व्यवहार / अनुशासन
सहयोगियों, उच्च अधिकारियों
व जनता के साथ।
- 3—कार्य में रुचिः—
- 4—कार्य में दक्षता:—
- 5—सत्यनिष्ठा:—

निबन्धक / सदस्य द्वारा समीक्षात्मक टिप्पणीः—

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणीः—